

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

25/5/26

साक्षीपत्र साक्षीकारी उपस्थित/साक्षीपत्र
सुरक्षा व कल्पना अनुपस्थित/कार-कार
साक्षी लगे रहें। न्यायालय समय 4:30pm
हो चुका है। अभी तक साक्षीपत्र उपस्थित
नहीं हुए हैं और ना ही साक्षीपत्र की
अनुपस्थिति का कोई कारण देखा किना
जाता है। अतः साक्षीपत्र सुरक्षा व
कल्पना के पूर्व में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के
जल सरकार किने जाते हैं। साक्षीपत्र
के विरुद्ध धारा 446 द.प्र.स. की कार्यवाही
प्रमाण से खोली जावे। साक्षीपत्र को अप
से ललब किना जावे। अप पर ललब साक्षी
से जोर संकेत हो कि प्रकरण targeted
cases की श्रेणी में है, तभील सरकार
वप से बरवाई जावे। पत्रावली वाले ललब
मुलाखत दिनांक 27/5/26 को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम-2, (विधि न्यायालय) जं.वि.प्र.
जयपुर महानगर इलाका, जयपुर